कार्यालय– प्रधानाचार्य, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।

पत्रांक– मे0का0दे0 / विज्ञप्ति / संविदा / फैकल्टी / 2024–25 / 1029 दिनांक– 29/08/24

विज्ञप्ति–2

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया के निम्नलिखित विभागों में आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के संविदा के आधार पर चयन हेतु आवेदन पत्र एदत द्वारा आमंत्रित किये जाते है। इन पदो पर वाक–इन इंटरव्यू (Walk-In-Interview) पद्धति से चयन किया जाना है। इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह साक्षात्कार के समय अपने समस्त मूल प्रमाण–पत्रों के साथ अपने समस्त शैक्षणिक / जाति / अनुभव प्रमाण पत्रों / शोध पत्रों की स्व स्व प्रमाणित छायाप्रतियों के दो–दो सेट, बायोडाटा व चार रंगीन फोटो के साथ साक्षात्कार हेतु प्रस्तुत हो सकते है। विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से जब तक रिक्त पदो की पूर्ति नही हो जाती है तब तक प्रत्येक बुधवार को प्रधानाचार्य कार्यालय महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में प्रातः 10 बजे से 2 बजे के मध्य साक्षात्कार हेतु उपस्थित हो। पदो का विवरण निम्नवत है–

क्र0स0	विशिष्टता	आचार्य				सह–आचार्य				सहायक आचार्य					योग
		GEN	EWS	OBC	SC	GEN	EWS	OBC	SC	GEN	EWS	OBC	SC	ST	
1	आर्थोपेडिक्स	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
2	आप्थलमोलॉजी	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3	आब्ट्रेक्सि एण्ड गाइनकोलॉजी	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
4	इमरजेन्सी मेडिसिन	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
5	एनॉटमी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6	एनेस्थीसियोलॉजी	-	-	1	-	1	-	-	1	2	-	1	1	-	7
7	आटो–राइनो–लेरिंगोलॉजी	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
8	कॅम्युनिटी मेडिसिन	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3
9	जनरल मेडिसिन	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	1	1	6
10	जनरल सर्जरी	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	4
11	टयुबरकुलेसिस एण्ड रेस्पिरेटरी मेडिसिन / पल्मोनरी मेडिसिन	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
12	डमेटोलॉजी वेरेरोलॉजी एण्ड लेप्रोसी	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2
13	डेन्टिस्ट्री	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
14	पीडियाट्रिक्स	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3
15	पैथालॉजी	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
16	फार्माकोलॉजी	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2
17	फिजियोलॉजी	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
18	फोरेन्सिक मेडिसीन	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3
19	माइक्रोबायोलॉजी	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2
20	बायोकेमेस्ट्री	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
21	रेडियोडग्नोसिस	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3
22	साइकियाट्री	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	योग	3	1	6	4	5	3	8	6	3	1	4	7	1	52

उक्त पदों पर नियमानुसार आरक्षण लागू है, संविदा पर नियुक्ति की शर्ते निम्नवत् है।

01. संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्य का नियत वेतन रु0 2,20,000/-, सह आचार्य का नियत वेतन रु0-1,60,000/-, सहायक आचार्य का नियत वेतन रु0-120000/- प्रतिमाह देय होगा। इस हेतु आवेदक को वर्तमान में एन0एम0सी0 के नवीनतम मानको के अनुसार निर्धारित शैक्षिक अर्हतायें एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
02. वेतन के सम्बन्ध में समय पर जारी शासनदेशों का अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी प्रकार के भत्ते बोनस एवं पेंशन सम्बंधित सुविधाओं का हकदार नहीं होगा।
03. चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अनुभव उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा निहित अनुसार होगी।
04. ओ0पी0डी0 के दिन प्राईवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे प्राईवेट प्रैक्टिस करने का स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
05. प्राईवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय में आकस्मिक/आपदा सेवाओ के लिए ड्यूटी पर उपलब्ध रहना होगा।
06. संविदा पर नियुक्त/कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती/स्थानान्तरण के माध्यम से नियमित चिकित्सा शिक्षक के उपलब्ध होने पर तत्तकाल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी समाप्त की जा सकती है।
07. ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष का होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकता अनुसार इनकी संतोषजनक सेवा के अधार पर सेवा पुनः बढ़ाया जा सकता है। सीनियर रेजिडेन्ट के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु 70 वर्ष के कम आयु सीमा के अभ्यर्थी अभ्यर्थन कर सकते है।
08. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों को आदेश जारी होने के 15 दिवस के अन्दर अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। उक्त कालावधि में कार्यभार न ग्रहण करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी।
09. संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षक भविष्य में विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण के लिए हकदार नही होगा।
10. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ पत्र प्रस्तुत करेगें कि उनके विरूद्ध माननीय न्यायालय में कोई अपराधिक वाद प्रचलित नहीं है और यदि उनके विरूद्ध कोई प्रतिकुल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
11. शासनादेश सं0-367/71-1-2020-जी-195/2015 टी0सी0 चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक- 26 फरवरी 2020 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पदो के रिक्तियों पर आरक्षण के अनुरूप उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने पर अनारक्षित वर्गो के अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा। संविदा से सम्बंधित नियम एवं शर्ते समय पर उ0प्र0 राजय सरकार द्वारा शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार अनुमन्य होगी।
12. उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत तत्कालीन संविदा चिकित्सा शिक्षा नियमावली सशर्त लागू होगा।

नोट- साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

- **क्लिनिकल विभाग में मरीजो की संख्या देखते हुए विभागो में अन्य खाली पदो के सापेक्ष सहायक आचार्य के पदों पर सशर्त साक्षात्कार लिए जा सकते हैं।**

प्रधानाचार्य,
महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय,देवरिया।
तद्दिनांकित

पत्रांक- मे0का0दे0/विज्ञप्ति/संविदा/फैकल्टी/2024-25/ 1029

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण जवाहर भवन,लखनऊ।
03. मंडलायुक्त, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर।
04. जिलाधिकारी ,देवरिया।
05. विज्ञापन प्रबंधक, हिन्दुस्तान, अमर उजाला एवं टाइम्स आफ इंडिया देवरिया को इस आशय से प्रेषित कि उत्तर प्रदेश संस्करण में पठनीय न्यूतम माप विज्ञापित करने के पश्चात जिला सूचना अधिकारी देवरिया द्वारा बिल सत्यापित कराकर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भुगतान हेतु प्रेषित करें।
06. वेबसाइट इंचार्ज, महर्षि देवरहा बाबा स्वाशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया की वेबसाइट को इस आशय के साथ प्रेषित की इस विज्ञपित को वेबासाइट पर प्रकाषित करना सुनिश्चित करें।
07. समस्त नोटिस बोर्ड, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।

29/8/24

प्रधानाचार्य,
महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय,देवरिया।